कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/विविध/2015/ दिनांकः 04/10/2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा – प्रथम/द्वितीय

आवश्यक/संशोधित आदेश

विषयः– समस्त राजकीय विद्यालयो की सभी कक्षाओं में निर्धारित माप का ग्रीन बोर्ड लगवाए जाने के संबंध में ।

प्रसंगः– राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर के पत्रांक : रामाशिप/जय/एस.ए.जी./निर्देश07/6347 दिनांक : 30.09.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि सम संख्यक पत्र दिनांक : 28.09.2016 में दिए गए निर्देशों में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :–

" विद्यालय वार्षिक अनुदान मद" (SAG/SFG) की राशि उपयोग के स्थान पर छात्र कोष/विद्यालय कोष का उपयोग ग्रीन बोर्ड निर्माण/खरीद में किया जावे । "

शेष पूर्व पत्र दिनांक : 28.09.2016 यथावत रहेगा ।

(बी0एल0स्वर्णकार)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के कम में सूचनार्थ ।

1 A राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

2 समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को शासन के निर्देशों की पालना हेतु प्रभावी प्रबोधन करते हुए मण्डल की समेकित पालना रिपोर्ट दिनांक : 20.10.2016 तक निदेशालय को प्रेषित करने हेतु ।

3 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।

4 वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा, प्रकाशन अनुभाग,कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

5 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।

6 रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/विविध/2015/373 दिनांकः 28.09.16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा – प्रथम/द्वितीय

आवश्यक

विषयः– समस्त राजकीय विद्यालयो की सभी कक्षाओं में निर्धारित माप का ग्रीन बोर्ड लगवाए जाने के संबंध में ।

प्रसंगः– शासन का पत्रांक : प.3(4)प्राशि/आयो/2016, जयपुर , दिनांक : 14 सितम्बर 2016

सन्दर्भः– आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर का पूर्व पत्रांक : CIVIL/ RCSE/ F-64/D-2914,दिनांक : 3.2.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा आरएमएसए अन्तर्गत विद्यालयों में निर्मित किए जा रहे अतिरिक्त कक्षा – कक्ष , विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट–क्राफ्ट कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष में " 8 फीट X 4 फीट " साईज का ग्रीन बोर्ड स्थापित किए जाने बाबत् निर्देश प्रदान किए गए थे । शासन के प्रासंगिक पत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना के कम में लेख है कि क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालयों की सभी कक्षाओं में " 8 फीट X 4 फीट " माप का ग्रीन बोर्ड तत्काल लगवाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त निर्देशों की कियान्विति हेतु RMSA/SSA द्वारा "विद्यालय वार्षिक अनुदान मद" (SAG/SFG) में प्रदत्त राशि का उपयोग किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित परिपत्र कमांक : शिविरा–माध्य/मा/स/22423/01–02, दिनांक : 28 फरवरी 2015 के बिन्दु संख्या : 3 (छात्र कोष/विकास कोष से किये जाने योग्य कार्य) के अन्तर्गत निर्देश कमांक : 3.1.1 (उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर बोर्ड/श्याम पट्ट) का संदर्भ लेते हुए क्षेत्राधिकार के समस्त संस्था प्रधनों को सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड स्थापित किए जाने बाबत् आवश्यक सम्बलन/मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिनांक : 15.10.2016 तक शासन के उपर्युक्त निर्देशों की शत – प्रतिशत कियान्विति सुनिश्चित करवाएं ।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित करें ।

(बी0एल0स्वर्णकार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के कम में सूचनार्थ ।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को शासन के निर्देशों की पालना हेतु प्रभावी प्रबोधन करते हुए मण्डल की समेकित पालना रिपोर्ट दिनांक : 20.10.2016 तक निदेशालय को प्रेषित करने हेतु ।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा" प्रकाशन अनुभाग,कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
6. रक्षित पत्रावली ।

28/9/16
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर